

बाप, जोधपुर जिले के 40 गांवों में शामलात शोध यात्रा से निकले विचारणीय बिन्दु

- ग्राम स्तर पर लोगों का शामलात संसाधनों के सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन को लेकर रूझान कम दिखा। परिणाम के तौर पर परंपरागत नियमों की पालना नहीं होना, अतिक्रमण के प्रति सामूहिक रूप से आवाज उठाने की पहल में कमी बताई गई। केवल तीन गांवों में सामूहिक विरोध के बारे में जानकारी मिली।
- ग्राम पंचायतों द्वारा शामलात संसाधनों से अतिक्रमण एवं अवैध खनन रोकने के प्रयास कम हुए हैं। दो ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है।
- शामलात में समुदाय द्वारा पेड़ों की कटाई रोकने की पहल में कमी आई है। नियमों में लचीलापन आया है। 40 गांवों में से 4 गांवों में शामलात संसाधनों से वृक्षों की कटाई नहीं करने की पालना सख्ताई से होती है।
- नाडी या तालाब की साफ-सफाई, रख-रखाव के नियमों की पालना में रूचि कमी हुई है। समुदाय ने स्वीकार किया कि पहले पूरा गांव एक मत होकर इनकी व्यवस्था करता था, वह अब कुछ ही गांवों में देखने को मिलता है। नहर का पानी सप्लाई होने के कारण देखभाल कम हुई है।
- आगौर, गौचर की जमीनें व कुछ नाडियां राजस्व रिकॉर्ड में उपयोग के किस्म के अनुसार दर्ज नहीं हुई हैं। गैर मुमकिन मगरा, श्रीसरकार, गैर मुमकिन पड़त के नाम से दर्ज हो गईं। उद्योगों, विशेषतः सोलर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण में उन भूमियों को भी शामिल कर लिया गया जो शामलात संसाधन के रूप में उपयोग होती थी।
- सोलर प्लांट या अन्य उद्योगों के लिए भूमि की मांग बढ़ने से जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी। सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियों द्वारा तीस साल के लिए खातेदारी जमीनें 10 हजार रू. प्रति बीघा लीज पर लिए जाने के कारण कुछ स्थानीय लोग भी शामलात उपयोग की भूमियों पर अतिक्रमण करने लगे हैं।
- आगौर की साफ-सफाई नहीं होने एवं पानी का उपयोग नहीं होने के कारण पानी की गुणवत्ता घटी है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां नाडी उपेक्षित हालात में है और कचरा पात्र बन कर रह गई।
- 750 नाडीयों में से सिर्फ 19 नाडियां ऐसी मिली जिनकी प्रबंधन व्यवस्था समुदाय द्वारा की जाती है। उनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं रख-रखाव के नियम बने हुए हैं।
- शामलात बचाने के संगठनात्मक प्रयास कम हो रहे हैं। सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत व शामलात के उपयोग वाली गैर मुमकिन पड़त के अधिग्रहण, अतिक्रमण, अवैध खनन के मामलों में दो समूह आमने-सामने दिखते हैं। कुछ लोग बचाने के प्रयास में लगे हैं, तो कुछ लोग कंपनियों के साथ खड़े हैं। उन लोगों की संख्या ज्यादा है, जो तटस्थ हैं।
- कृषि सिंचाई के लिए ट्यूबवैल की संख्या पिछले 15 से 20 वर्षों में अधिक हुई है। भू-जल स्तर लगातार गिर रहा है। जिन क्षेत्रों में ट्यूबवैल से सिंचाई हो रही है, लोगों ने बताया कि प्रारंभ में सौ से डेढ़ सौ फुट पर पानी था, जो 500 से 600 फुट नीचे चला गया है। आने वाले 15 से 20 वर्षों में भू-जल समाप्त हो जाएगा।
- तीन गांवों में बेरियां की व्यवस्था देखी गई। तालाब में पानी सूख जाने के बाद बेरियां के पानी का उपयोग करते थे। नहर का पानी सप्लाई आने के बाद से उनकी देखभाल व मरम्मत का काम कम हुआ है। एक गांव में 100 बेरियां थीं जिनमें से 36 बेरियां देखने को मिलती हैं। उनमें से 10 उपयोगी रही हैं। गांव के लोगों ने अपने अनुभव से बताया कि लगातार पांच साल अकाल पड़ने के बाद भी बेरियां से पानी मिलता रहा। देख-रेख नहीं होने के कारण अधिकांश बेरियां मिट्टी से भर कर समाप्त हो गईं।
- शामलात संसाधनों की अनदेखी का असर यहां की जैव विविधता पर पड़ा है। लोगों ने बताया कि कई प्रकार की वनस्पतियां व जीव-जंतु अब देखने को नहीं मिलते। उनकी जगह वनस्पति में सबसे ज्यादा बिपनी घास, सोना मुखी और बिलायती बवूल तथा जीवों में सुअर व नीलगाय अधिक बढ़ी है। शामलात संसाधनों में वृक्ष एवं घास कम होने तथा बटवारे के कारण खेती की जमीन पर लगातार खेती करने रहने से वृक्ष व घास की प्रजातियां समाप्त हुई हैं।
- शामलात संसाधनों की अनदेखी का विपरीत असर खेती व पशुपालन पर पड़ा है। पशुओं की संख्या पहले से कम हुई है। चराई क्षेत्र में चारा कम होना और खेती में उत्पादन कम होने के रूप में इस असर को आंका गया। सभी गांवों में समुदाय ने चर्चा के दौरान बताया कि छः से सात माह का चारा शामलात से मिल जाता था। अब चौमासे में भी पशु भूखे रह जाते हैं। खेती में भी चारा कम हुआ है। 20 साल पहले प्रति बीघा दो से तीन क्विंटल उपज होती थी, जो अब एक क्विंटल रह गई है। मूंग व मोठ का उत्पादन बहुत कम हो गया है।

